पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2249
दिनांक- 12.09.2025

जोन-पूर्वी/थाना-बीबीडी

- **क्राइम/सर्विलांस टीम डीसीपी पूर्वी महोदय एवं थाना बीबीडी की संयुक्त टीम द्वारा साइबर ठगों के गिरोह के कुल 06 नफर अभियुक्तों की गिरफ्तारी**
- **एवं उनके कब्जे से डिजिटल करेन्सी कुल कीमत लगभग 1,30,87,012.73 (एक करोड़ तीस लाख सतासी हजार बारह रुपये तिहत्तर पैसे) एवं 26 लाख रूपये नगद एवं अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस बरामद।**
- **अभियुक्तों के द्वारा प्रयोग किये जा रहे म्यूल अकाउन्टस पर साईबर क्राईम पोर्टल के माध्यम से विभिन्न राज्यों में दर्ज कुल 21 शिकायतों में लगभग 14.80 करोड (चौदह करोड अस्सी लाख रुपये) के आरोप दर्ज।**

1. घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 12.09.2025 को थाना बीबीडी की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्मजरायम, तलाश वांछित अभियुक्तगण में इमलीबांधन से किसान पथ जाने वाले तिराहे पर आपस में अपराध व अपराधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि मुखबिर खास ने मौके पर आकर बताया कि किसान पथ के किनारे स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवास के एक कमरे में पाँच छः लोग मौजूद हैं जो आपस में फर्जी म्यूल खाते खोलवाकर साइबर फ्राड से संबंधित धनराशि फर्जी खातों में मंगाकर कैश नकद धनराशि एटीएम के माध्यम से निकाले जाने के संबंध में आपस में बात-चीत कर रहे थे। उपरोक्त सूचना पर भरोसा करते हुए सर्विलांस/क्राइम टीम पूर्वी जोन को साथ लेकर बताये गये स्थान पर गये।

आरोपियों से नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो इनके पास से कुल धनराशि 26 लाख रूपये नगद, एवं डिजिटल करेंसी जिसकी कुल कीमत भारतीय रूपये में लगभग 1,30,87,012.73 (एक करोड़ तीस लाख सतासी हजार बारह रुपये तिहत्तर पैसे) एवं कुल 09 अदद मोबाइल, 01 अदद लैपटाप, 15 अदद एटीएम कार्ड भिन्न-भिन्न बैंकों के व 16 अदद चेक बुक म्यूल एकाउंट्स के जिनके ऊपर साइबर फ्राड की विभिन्न शिकायतों में कुल धनराशि लगभग 14.80 करोड (चौदह करोड अस्सी लाख रुपये) के ठगी का आरोप दर्ज है।

इनके मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइसों से अन्य संलिप्त लोगों के बारे में तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। **पकड़े गये व्यक्तियों के विरूद्ध थाना बी0बी0डी0 पर मु0अ0सं0 217/2025 धारा 319(2)/318(4)/111(3)/3(5) बीएनएस व 66 सी आई टी एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।**

02. अपराध का संक्षिप्त विवरण:-

अभियुक्तगण द्वारा आर्थिक लाभ हेतु भोले-भाले आम नागरिकों को छल से व लालच देकर उनके खाते विभिन्न बैंकों में खुलवाये जाते थे। उन खातों के संचालन का सम्पूर्ण नियंत्रण अभियुक्तगण द्वारा किया जाता था। जिन खातों में साइबर ठगी/डिजिटल अरेस्ट/फिसिंग आदि से प्राप्त धनराशि को स्थानांतरित कर नगद निकाल कर फारेक्स डिजिटल करेन्सी में दलालों के माध्यम से परिवर्तित कर लिया जाता था, जिसे उचित दामों पर खरीद-फरोक्त कर अपने निजी लाभ हेतु अर्जित कर लिया जाता था।

03. अपराधियों का विवरण :-

01. **मुशीर अहमद** पुत्र मुसीबत निवासी ग्राम व पोस्ट शेखदहिर थाना देहात कोतवाली जिला बहराइच उम्र 26 वर्ष
02. **अनवर अहमद** पुत्र शाकिर अली निवासी ग्राम व पोस्ट शेखदहिर थाना देहात कोतवाली जिला बहराइच उम्र 28 वर्ष
03. **अरशद अली** पुत्र करामत अली निवासी मोहल्ला नाजिरपूरा थाना- नगर कोतवाली जिला बहराइच उम्र 28 वर्ष
04. **रिंकू** पुत्र कमलेश निवासी वजीहुद्दीनपुर जैतपुर, जिला बाराबंकी उम्र 19 वर्ष
05. **अमित कुमार जायसवाल** पुत्र सूर्यलाल निवासी एमआई रिट्रीट सेन्ट्रल अर्जुनगंज थाना पीजीआई लखनऊ उम्र 44 वर्ष
06. **अर्जुन भार्गव** पुत्र सुधाकर भार्गव नि0 ए-317 एजेडईए बोटानिका वृन्दावन कालोनी पीजीआई लखनऊ उम्र 47 वर्ष।

04. अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास :-

अन्य थाना/जनपद/राज्यो से जानकारी की जा रही है।

05. अभियुक्तगण के पास से बरामदगी का विवरण:-

- रुपए 26 लाख नगद
- डिजिटल करेन्सी कुल कीमत लगभग 1,30,87,012.73 (एक करोड़ तीस लाख सतासी हजार बारह रु0 तिहत्तर पैसे)
- 16 अदद चेक बुक म्यूल एकाउंट्स के जिनके ऊपर साइबर फ्राड की विभिन्न शिकायतो में कुल धनराशि लगभग 14.80 करोड (चौदह करोड अस्सी लाख रूपये) के ठगी का आरोप दर्ज है ।
- 15 अदद एटीएम कार्ड
- 03 अदद पैन कार्ड
- 02 अदद आधार कार्ड
- 01 अदद निर्वाचन कार्ड
- 09 अदद मोबाइल एंड्रायड फोन (जामातलाशी से 06 अदद व बैग से 03 अदद)
- 01 अदद लैपटाप
- घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सुपर स्पलेण्डर UP40 BB 4371 व ब्रेजा कार UP32 HX 8586

06. गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

थाना बीबीडी टीम	**सर्विलांस/क्राइम टीम पूर्वी जोन**
रामसिंह प्रभारी निरीक्षक बीबीडी	उ0नि0 अमरनाथ चौरसिया
निरी0 विश्वनाथ सिंह	हे0का0 संदीप पाण्डेय
निरी0 अरविन्द कुमार	हे0का0 अमित कुमार
उ0नि0 मुकेश पाल	का0 अजय यादव
उ0नि0 राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय	का0 प्रदीप कुमार
उ0नि0 मंयक राय	का0 विमल चन्द्र पाल
हे0का0 अशोक वर्मा	
का0 राजकुमार	
का0 रविशंकर सिंह	
का0 राधेश्याम	
का0 चालक रणधीर सिंह	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2255
दिनांक- 12.09.2025

जोन- मध्य / थाना- हजरतगंज

- **चार पहिया वाहन चलवाने के नाम पर वाहन लेकर, कूटरचित प्रपत्र (फर्जी आधार कार्ड) तैयार कर स्वयं को अन्य व्यक्ति प्रतिरुपित कर, उसे बेचने वाला रु0 25000/- का इनामिया शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **03 अदद चार पहिया वाहन बरामद**
- **थाना हजरतगंज पुलिस की कार्यवाही।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.06.2025 को वादिनी मुकदमा शिल्पी सोनकर द्वारा स्वंय की 03 चार पहिया वाहन को प्राइवेट बुकिंग के लिए अजीजुर रहमान अंसारी पुत्र सरीकुर रहमान, निवासी-229/85 सिरका वाली गली सोवतिया बाग लखनऊ द्वारा एग्रीमेन्ट के माध्यम से लिया गया 2-3 महीने तक पैसे देने के बाद पैसा देने से मना करने तथा गाड़ी वापस न करने की शिकायत पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0169/ 2025 धारा 316(2) / 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया विवेचना उ0नि0 अमित कुमार के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

सुरागरसी पतरसी व मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त के थाना क्षेत्र में होने की जानकारी के बाद अभियुक्त को एसबीआई मुख्य शाखा के पास से गिरफ्तार किया गया पूछतांछ पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसका नाम **जमीर अहमद पुत्र बसीर अहमद निवासी ग्राम कटरा अतरसुई तहसील मंझनपुर थाना संराय अकील जनपद कौशाम्बी उ0प्र0** है। जबकि अभियोग में तथा एग्रीमेंट में अजीजुर रहमान अंसारी पुत्र सरीकुर रहमान अंकित है इस बारे अभियुक्त द्वारा बताया गया कि इस नाम से आधार कार्ड मैने कूटरचना कर के बनाया था तथा इसी नाम से मैने एग्रीमेन्ट किया था।

अभियुक्त की निशादेही पर वादिनी मुकदमा की चार पहिया वाहन 01- वाहन मारुती बैगनआर वाहन संख्या-UP-32PQ3756 व 02 अदद वाहन कार होण्डा अमेज वाहन संख्या UP32PP2072 व UP32PE0324 बरामद किया गया। अभियुक्त की तलाशी के दौरान दो अदद कूटरचित पैनकार्ड, दो अदद कूटरचित आधार कार्ड, व एक अदद कूटरचित ड्राइविग लाईसेंन्स, एक अदद कूटरचित पहचान-पत्र उत्तर प्रदेश शासन ट्रान्सपोर्ट डिपार्डमेन्ट का बरामद किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

अभियोग उपरोक्त में धारा 338/336(3)/340(2)/341(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी अग्रिम विवेचना धारा 316(2)/318(4) /338 /336(3)/340(2)/341(1) बीएनएस में की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त पर रु0 25000/- का पुरस्कार घोषित है।

02-अपराध करने का तरीका-

अभियुक्त द्वारा अपने असली नाम को छिपाते हुए फर्जी नाम व पते पर आधार कार्ड /पैन कार्ड बनवाकर मुकदमा वादिनी व अन्य व्यक्तियों के साथ उनका वाहन किराये पर लेने हेतु एग्रीमेन्ट कर प्राप्त किये गये वाहनो को हड़प कर उसे विक्रय कर देता था ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जमीर अहमद पुत्र बसीर अहमद निवासी ग्राम कटरा अतरसुई तहसील मंझनपुर थाना संराय अकील जनपद कौशाम्बी उम्र 50 वर्ष

04-बरामदगी-

- मारुती बैगनआर वाहन संख्या-UP-32PQ3756
- वाहन कार होण्डा अमेज वाहन संख्या UP32PP2072
- वाहन कार होण्डा अमेज वाहन संख्या UP32PE0324 (बिना नम्बर प्लेट का)
- कूटरचित पैनकार्ड 02 अदद,
- कूटरचित आधार कार्ड 02 अदद
- कूटरचित ड्राइविग लाईसेंन्स01 अदद
- कूटरचित पहचानपत्र उत्तर प्रदेश शासन ट्रान्सपोर्ट डिपार्डमेन्ट 01 अदद

05-आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं.169/2025 धारा 316(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/341(1) बीएनएस थाना हजरतगंज

2. मु.अ.सं.202/2025 धारा 202/2025 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना चौक

06-गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अमित कुमार थाना हजरतगंज, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 शिवम पाण्डेय चौकी प्रभारी नरही, सुल्तानगंज थाना हजरतगंज, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
3. म0उ0निशा सिंह चौकी प्रभारी लीला, थाना हजरतगंज, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
4. उ0नि0 सुधा दीक्षित चौकी, प्रभारी जवाहर भवन, थाना हजरतगंज, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
5. उ0नि0 इरफान अहमद थाना हजरतगंज, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
6. का0 भूपेन्द्र, थाना हजरतगंज, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.2254
दिनांक- 12.09.2025

जोन- उत्तरी / थाना- जानकीपुरम

- **थाना जानकीपुरम पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार ।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

मा0न्यायालय द्वारा निर्गत गैरजमानती वारंट वाद श्रीमान विशेष न्यायधीश SC/CT ACT लखनऊ के वाद सं0- 1069/14 अ0सं0- 187/14 धारा 302,201 भादवि व 3(2)V SC/ST ACT थाना जानकीपुरम कमिश्नरेट लखनऊ से सम्बन्धित वांरटी/अभियुक्त पंकज यादव उर्फ शम्भू यादव पुत्र आशाराम यादव उर्फ मन्शाराम यादव निवासी- तिवारीपुर जानकीपुरम लखनऊ को हिरासत पुलिस में लिया गया।

वारंटी उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एंव विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1.पंकज यादव उर्फ शम्भू यादव पुत्र आशाराम यादव उर्फ मन्शाराम यादव निवासी- तिवारीपुर जानकीपुरम लखनऊ (व्यवसाय – गाडी चालक) ।

03- सम्बन्धित वाद-

1. वाद सं0- 1069/14 अ0सं0- 187/14 धारा 302,201 भादवि व 3(2)V SC/ST ACT थाना जानकीपुरम कमिश्नरेट लखनऊ

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राम सिंह
2. हे0का0 धर्मचन्द्र चौहान

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2253
दिनांक- 12.09.2025

जोन- उत्तरी / थाना माल

- **थाना माल पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर चोर / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **2960/- रुपये बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 11.09.2025 को वादी श्री विक्की जायसवाल (देशी शराब ठेका संचालक कस्बा माल स्थित रामनगर) पुत्र प्रेम प्रकाश जायसवाल नि0 ग्राम पूरनपुर जनपद पीलीभीत उपस्थित थाना आकर बाबत दिनांक 10.09.2025 की रात्रि वादी की कस्बा माल स्थित रामनगर देशी शराब की दुकान की खिड़की तोड़कर दुकान के अन्दर रखे 5300/-रुपये चोरी करने व लगभग 25 पौवा देशी शराब उठा ले जाने के सम्बन्ध में थाना माल में मु0अ0सं0 243/25 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया।

उ0 नि0 रजनीशकान्त भारती, उ0नि0 हरिओम सिंह मय हमराही कर्मचारीगण के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध/व्यक्ति वाहन में मसीढा हमीर पुलिया पर मामूर थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि रामनगर ठेके से देशी पौव्वा चुराने वाला व्यक्ति वीरपुर पुलिया पर कही जाने की फिराक में खड़ा है इस पर हम पुलिस वाले वीरपुर पुलिया पर पहुंचकर उस व्यक्ति को घेरघार कर पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम मुकेश कश्यप पुत्र छुटक्के कश्यप नि0 ग्राम कहारनटोला कस्बा व थाना माल लखनऊ बताया। जामा तलाशी ली गयी तो एक सफेद थैले में पालिथीन में बंधे 10 रुपये के 180 सिक्के, पाँच रुपये के 192 सिक्के व बीस रुपये के 10 सिक्के कुल 2960/- रुपये बरामद हुए।

बरामद रुपयों के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया कि कस्बा माल स्थित रामनगर देशी ठेके से खिड़की तोड़कर मैने व धर्मेन्द्र भुर्जी पुत्र छुटक्के नि0 कस्बा थाना माल ने मिलकर देशी शराब के 15-20 पौव्वे व रुपये चोरी किये थे तथा रुपयो को आपस में बराबर-बराबर बाँट लिये , कुछ पौव्वे हम लोगो ने पी लिये व शेष पौव्वा धर्मेन्द्र अपने साथ लेकर चला गया। अभियुक्त मुकेश कश्यप उपरोक्त को उसके जुर्म धारा से अवगत कराते हुए आज दिनांक 12.09.2025 को गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02- अपराध का उद्देश्य:-

आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु चोरी का कार्य करते हैं।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

मुकेश कश्यप पुत्र छुटक्के कश्यप नि0 ग्राम कहारनटोला कस्बा व थाना माल जनपद लखनऊ उम्र 19 वर्ष

04 बरामदगी -

10 रुपये के 180 सिक्के, पाँच रुपये के 192 सिक्के व बीस रुपये के 10 सिक्के **कुल 2960/- रुपये**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2252
दिनांक-12.09.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-महिगवां

- ग्राम शिवराजपुर में हुई मारपीट के आरोप में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।
- थाना महिगवां पुलिस की कार्यवाही।

01-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 20.08.2025 को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम शिवराजपुर में पुराने विवाद के चलते मारपीट हो रही है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल ग्राम शिवराजपुर पहुंचा तथा पाया कि प्रथम पक्ष के सन्दीप पुत्र लालता निवासी शिवराजपुर थाना महिगंवा लखनऊ घायल अवस्था में जमीन पर पडा हैं जिसके सिर में काफी चोट है तथा हालत काफी गम्भीर है। पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुये पुलिस वाहन से पीडित को रामसागर मिश्र 100 शैय्या अस्पताल बीकेटी लखनऊ ले जाया गया जहां से पडित को केजीएमयू लखनऊ रेफर किया गया था।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में पीडित पक्ष संदीप की माता वादिनी मुकदमा श्रीमती बिट्टो पत्नी लालता प्रसाद निवासी शिवराजपुर थाना महिगंवा लखनऊ द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 106/2025 धारा 191(2)/126(2)/115(2)/352/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक 11.09.2025 को विवेचक श्री शशांक शुक्ला मय पुलिस बल के वांछित अभियुक्त की पतारसी सुरागरसी में भिठौली चौराहा थाना क्षेत्र मडियांव में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त का वांछित अभियुक्त अजय गौतम पुत्र शंकरलाल उर्फ शिवशंकर निवासी ग्राम शिवराजपुर थाना महिगवां लखनऊ अलीनगर तिराहा के पास रामनरेश स्वीट हाउस एवं कैटर्स के बगल में स्थित एक मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान के पास जोकि मडियांव थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आती है के पास अपनी मोटरसाईकिल बनवा रहा है। उक्त सूचना पर विश्वास कर पुलिस बल द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर अभियुक्त अजय गौतम उपरोक्त को उसके द्वारा कारित जुर्म व अपराध का बोध कराते हुये रामनरेश स्वीट हाउस एवं कैटर्स के बगल में स्थित एक मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान के पास हिरासत पुलिस में लिया गया दौराने गिरफ्तारी मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया।

इससे पूर्व दिनांक 21.08.2025 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अन्य अभियुक्त शंकर लाल उर्फ शिवशंकर पुत्र शत्रोहन निवासी ग्राम शिवराजपुर लखनऊ को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।

अभियुक्त अजय गौतम उपरोक्त फरार चल रहा था जिसे आज दिनांक 12.09.2025 को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-अपराध का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा पीडित पक्ष के साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना, जान से मारने की नीयत से पीडित पर लाठी, डण्डो, से वार करना जिससे पीड़ित को गम्भीर चोटें आना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण / व्यवसाय—

1. अजय गौतम पुत्र शंकरलाल उर्फ शिवशंकर निवासी ग्राम शिवराजपुर थाना महिगवां लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष (व्यवसाय – खेती)

04-आपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. अजय गौतम पुत्र शंकरलाल उर्फ शिवशंकर निवासी ग्राम शिवराजपुर थाना महिगवां लखनऊ

a) मु0अ0सं0 135/2024 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस थाना महिगवां जनपद लखनऊ
b) मु0अ0सं0 39/2025 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना महिगवां जनपद लखनऊ
c) मु0अ0सं0 106/2025 धारा 191(2)/126(2)/115(2)/352/109(1) बीएनएस थाना महिगवां लखनऊ

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री शशाक शुक्ला थाना महिगवां
2. उ0नि0 श्री वींरेन्द्र सिंह थाना महिगवां
3. का0 लाल बहादुर थाना महिगवां

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2251
दिनांक 12.09.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-पी.जी.आई.

- **गैगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त 01 नफर को गिरफ्तार किया गया।**
- **थाना पीजीआई पुलिस की कार्यवाही।**

01-कार्यवाही विवरण-

थाना पीजीआई पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र से गैगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त विकास उर्फ कुल्हड पुत्र स्व0 महेश बाल्मिकी निवासी नेपालगंज तेलीबाग थाना पीजीआई लखनऊ उम्र 25 वर्ष को शनि मंदिर के पास नहर के किनारे भैंसा कुण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया ।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.09.2025 को थाना पीजीआई लखनऊ पर पंजीकृत गैगस्टर एक्ट का मु0अ0सं0 447/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधि0 1986 थाना पीजीआई जनपद लखनऊ में वांछित अभियुक्त विकास उर्फ कुल्हड पुत्र स्व0 महेश बाल्मिकी निवासी नेपालगंज तेलीबाग थाना पीजीआई लखनऊ उम्र 25 वर्ष जो थाना पीजीआई व अन्य थाना क्षेत्रों में अपने गैंग के साथियों के साथ मिलकर चैन/मोबाइल स्नैचिंग/लूट करने वाला वांछित अभियुक्त को शनि मंदिर के पास नहर के किनारे भैंसा कुण्ड के पास थाना क्षेत्र पीजीआई जनपद लखनऊ पर दिनांक 11.09.2025 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त विकास उर्फ कुल्हड़ उपरोक्त का नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

03-मॉड्स आपरेंडी-

अभियुक्त द्वारा अपने गिरोह के अन्य सदस्यो के साथ मिलकर रास्ते चलते लोगों को अवैध असलहा दिखाकर चैन/मोबाइल स्नैचिंग करने का अभ्यस्त अभियुक्त है। जिनके विरूद्ध लखनऊ के थाना क्षेत्रों में लोगों के बीच भय एवं दहशत व्याप्त है। लूटे गये सामान को बेचकर लाभ अर्जित कर जीवन यापन करना।

04-अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 447/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधि0 1986 थाना पीजीआई जनपद लखनऊ

05-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसायः-

01-विकास उर्फ कुल्हड पुत्र स्व0 महेश बाल्मिकी निवासी नेपालगंज तेलीबाग थाना पीजीआई लखनऊ उम्र 25 वर्ष (इलेक्ट्रिक मिस्त्री) कक्षा 8 वीं पास

06-अभियुक्त विकास उर्फ कुल्हड़ आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-208/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पीजीआई लखनऊ,
2. मु0अ0सं0 697/2023 धारा 392/411 भादवि थाना पीजीआई लखनऊ
3. मु0अ0सं0 581/2024 धारा 74/78/352/351(3)/131 बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ
4. मु0अ0सं0 447/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधि0 1986 थाना पीजीआई जनपद लखनऊ

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह थाना पीजीआई लखनऊ
2. उ0नि0 श्री दिनकर वर्मा थाना पीजीआई लखनऊ
3. का0 सुमित कुमार थाना पीजीआई, लखनऊ
4. का0 पवन कुमार थाना पीजीआई लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2250
दिनांक 12.09.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-पीजीआई

- **मोटरसाइकिल चोरी करने वाले दो नफर शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार।**
- **थाना पीजीआई पुलिस टीम की सफलता।**

कार्यवाही :-

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना पीजीआई, कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा आज दिनांक 13.09.2025 को समय 03.37 बजे शंकर जी के मंदिर के बगल में सेक्टर 16 के मैदान से अभियुक्त गण 1. पहलाद पुत्र रामखिलावन उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम ब्रम्हदासपुर थाना निगोहा जनपद लखनऊ व 2. अमर सिंह पुत्र राजेन्दर उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम हरिवंशखेड़ा, थाना निगोहा, जनपद लखनऊ को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण -

वादी मुकदमा श्री मनोज कुमार पाल पिता स्व0 राम दुलारे पाल निवासी ग्राम हैवत मऊ मवैया पोस्ट उत्तरठिया अम्बेडकर यूनिवर्सिटी (साउथ सिटी) लखनऊ द्वारा दिनांक 12.09.2025 को थाना स्थानीय पर आकर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक की बाइक UP32DT7938 चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे लिखित प्रा0पत्र दिया गया, जिसके आधार पर मु0अ0सं0 452/2025 धारा 303(2) बीएनएस, बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री पवन कुमार को आवंटित हुई।

माल मुल्जिम की तलाश पतारसी सुरागरसी के क्रम में ट्रामा सेण्टर एवं कालिंदी पार्क पर चेकिंग में मामूर थे कि जरिए मुखबिर खास से सूचना मिली कि साहब आपके मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त गण एक मोटरसाइकिल बेचने की फिराक मे शंकर जी के मंदिर के बगल में सेक्टर 16 के मैदान के पास खड़े है यदि जल्दी किया जाए तो पकडा जा सकता है, इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा एकबारगी दबिश देकर हिकमत अमली से खडे व्यक्तियों को घेर घारकर पकड लिया पहले व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उक्त व्यक्ति द्वारा अपना नाम 1. पहलाद पुत्र रामखिलावन उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम ब्रम्हदासपुर थाना निगोहा जनपद लखनऊ बताया। तथा दूसरे से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी गयी तो दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अमर सिंह पुत्र राजेन्दर उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम हरिवंशखेड़ा, थाना निगोहा, जनपद लखनऊ बताया।

अभियुक्त जामा तलाशी ली गई तो मटमैली जीन्स की पैण्ट के बायी जेब से 50 रूपये का एक नोट एवं 20 रूपये का एक फटा नोट(70 रूपये) बरामद हुआ समय करीब 03.37 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त गण को मा0 न्यायालय न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

नाम पता अभियुक्तगण:-

1. पहलाद पुत्र रामखिलावन उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम ब्रम्हदासपुर थाना निगोहा जनपद लखनऊ (ड्राइवर)
2. अमर सिंह पुत्र राजेन्दर उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम हरिवंशखेड़ा, थाना निगोहा, जनपद लखनऊ (मजदूरी)

अनावरित अभियोग:-

01-मु0अ0सं0 452/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना पीजीआई, लखनऊ

पूछताछ विवरण :-

पूछतांछ में अभियुक्त गणों ने बताया कि मै नशा व महंगे शौक पूरे करने तो मैने दिनांक 09.09.2025 को अ0त0 के लगभग स्कूल सेंट जोन वियानी उत्तरठिया थाना पीजीआई लखनऊ के पास मोटरसाइकिल चोरी किये थे। उसको बेचने के लिए खडे थे कि आप लोगो ने को शंकर जी के मंदिर के बगल में सेक्टर 16 के मैदान से पकड लिया गया साहब माफ कर दीजिए गलती हो गयी।

बरामदगी का विवरण:-

हीरो मोटरसाईकिल सीडी डिलक्स नं0 UP32DT7938, चेचिस नम्बर MBLHA11ENB9C10075, इंजन नम्बर MA11ECB9C19998

गिरफ्तार करने वाली थाना पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री पवन कुमार थाना पीजीआई लखनऊ
2. उ0नि0 श्री योगेश कुमार यादव थाना पीजीआई लखनऊ
3. का0 सोनू सिंह थाना पीजीआई लखनऊ